ग्राम पंचायत कल्पा, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 प्रस्तावनाः–

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कल्पा, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1.4. 2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुरमा देवी	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्री प्रवीण कुमार	23.1.2016 से लगातार

सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री प्रवीण कुमार	1.4.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत कल्पा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.16
2	8	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के स्त्रोत, उद्देश्य इत्यादि के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध न होना	1.14
3	9	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, मस्टर रोल भुगतान हेतु नकद में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन	11.55

		की सम्भावना बारे	
4	11	अनुदान का उपयोग न करना	34.65
5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	20.83
6	14	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डारण पुस्तकों में प्रविष्टियाँ न करना	24.28

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कल्पा, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2017 से 03.11.2017 के दौरान ग्राम पंचायत कल्पा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2014–15	12/2014	09/2014
2015–16	01/2016	10/2015
2016–17	12/2016	09/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कल्पा, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 601/2017 दिनांक 03.11.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार Own Sources, Lada & IAY and General GIA, MG Nrega, Integrated Water Shed Project, 13th & 14th Finance Commission को अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखाकिंत आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts पूर्ण नहीं बनाए गए थे। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट–1"** पर दिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना परिणामस्वरूप अन्तशेष में ₹0.23 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत कल्पा की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त LADA & IAY and General GIA रोकड़ बही और सम्बन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹23324.84 (₹1764848.50–1788173.34) का अन्तर था जिसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट–1** में दिया गया है का अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹1.16 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–2** में दिये गये विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत राजस्व ₹115500 वसूली हेतु शेष था। अतः उपरोक्त राजस्व की

बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रख गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय ₹1.14 लाख के स्त्रोत, उद्देश्य इत्यादि के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म–3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न मामलों में प्राप्त आय के बदले कोई रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः इस सन्दर्भ में विभागीय तौर पर आवश्यक इस राशि की प्राप्ति और उद्देश्य की छानबीन की जाए। साथ ही प्राप्त आय के बदले में रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date of Receipt of Grant	**Amount of Receipt**	**Cash Book Page no.**	**From Where Grant Received**
28.01.2016	25650	26	D.P.o. Kinnour
28.01.2016	88502	26	किसी प्रकार का कोई विवरण नहीं
Total	**₹114152**		

9 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Must-roll भुगतान हेतु ₹11.55 लाख का भुगतान नकद में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और

चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1155249.50 के व्यय वाऊचरों/मस्टरोल का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव को किया गया दर्शाया गया था। ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट–4** पर दिया गया है। बैंक चैक को सम्बन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान/पंचायत सचिव के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि की दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान/पंचायत सचिव के नाम किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 602/2017 दिनांक 03.11.2017 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 03.11.2017 से सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ज्यादातर भुगतान मजदूरों को किए गए थे, जिनके बैंक खाते नहीं थे। भविष्य में सभी भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेंगे।

10 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म में तैयार न करनाः–

फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म–11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

11 अनुदान ₹34.65 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्त्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक कुल ₹3464854 उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट–5** पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी की

स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ₹16.30 लाख का अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–6"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹1630278 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसेक अतिरिक्त किए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में आवश्यक जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, इस बारे में अंकेक्षण दल को सूचित किया गया कि इन सभी कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका ब्लॉक ऑफिस में ब्लाक क0 अभियन्ता के पास है। बार–बार अनुरोध करने पर भी निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जोकि संशय पैदा करता है कि वास्तव में परिशिष्ट में दर्शाये गये निर्माण कार्य किए गए है अथवा नही। जिसकी पूर्ण जाँच की जानी अपेक्षित है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए। साथ ही प्रस्तुत न की गई माप पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹20.83 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट–7"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2082876 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस

अनियतिता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय की गई ₹24.28 लाख की स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भण्डारण रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (a, b,c, एवं d) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान क्रय की गई ₹2428086 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट–8"** में दिया गया है, को क्रय करने के उपरान्त भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न किए जाने के कारण क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। सामग्री से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन व खपत से सम्बन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 MGNerga निधि से ₹0.27 लाख की सीमेन्ट की खरीद के सन्दर्भ में अनुचित भुगतान किए जाने बारेः–

नियमानुसार एवं समय–समय पर जारी विभिन्न निर्देशों के अनुसार MGNerga निधि से विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सीमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम HP Civil Supply Corporation Ltd. से ही किया जाना अपेक्षित था। MGNerga निधि से किए गए विभिन्न भुगतानों की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में सीमेन्ट की खरीद सरकारी उपक्रम HP Civil Supply Corporation Ltd. से न करके Open Market से की गई थी जोकि नियमों के विरूद्ध होने के कारण पूर्णतया अनुचित था। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम HP Civil Supply Corporation Ltd. से सीमेन्ट की खरीद न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में MGNerga निधि से सीमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम HP Civil Supply Corporation Ltd. से ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

Voucher No./Dt.	Cash Book P.No.	Amount	Detail of Payment
36/08.08.2014	66 (MGNERGA)	11850	30 Bags @ 395 per Bag
39/08.08.2014	66 (MGNERGA)	11850	30 Bags @395 Per Bag
40/08.08.2014	66 (MGNERGA)	3950	10 Bags @395 Per Bag
	Total	**₹27650**	

16 ₹10000 के भुगतान के सन्दर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

वाउचर संख्या 36 (Own Source) दिनांक 05.10.2015 ₹10000

उपरोक्त व्यय वाउचर के माध्यम से ₹10000 का भुगतान सचिव, ग्राम स्वास्थ्य समिति कल्पा को "Total Health Campaign" हेतु किया गया था। परन्तु भुगतान पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान अवधि तक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने से यह संदेह प्रतीत होता है कि क्या वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया है जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी। अतः भुगतान के बदले उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 चौकीदार को किए गए भुगतान के सन्दर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादि न बनाये जाने बारेः–

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान चौकीदार को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु जिस अवधि के लिए भुगतान किया गया था उस अवधि का उपस्थिति रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसके कारण कर्मचारियों को किए गए भुगतान की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न

रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते (Ledgers)	7	29 (1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29 (4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72 (1) (a & b)
11	निर्माण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताएंः–

(क) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 29 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म–7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अतः नियम 29 (1) के अनुसार खाता बहियों का

निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म–8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म–8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29 (4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान हैं सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत कल्पा द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणो को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत कल्पा द्वारा आय संग्रह के लिए रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखाकिंत नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं? अतः आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22 **निष्कर्षः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(ix) 2/2017–खण्ड–1–2964–2967 दिनाँक 01.05.2018 शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा, विकास खण्ड कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881